भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2326
07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों का अंगीकरण

2326 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) राज्य के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर कितने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई और कितने ईवी चा्जिंग स्टेशनों को सफलतापूर्वक प्रचालनात्मक किया गया;
(ग) क्या छत्तीसगढ़ में भारी इंजीनियरिंग या विनिर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हरित गतिशीलता में उसका योगदान क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के तीव्र अंगीकरण के उद्देश्य से फेम-I, फेम-II तथा पीएम ई-ड्राइव स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है।

(i) **फेम-I स्कीम :** 'भारत में इलेक्ट्रिक (एवं हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया)' के चरण-I को भारत सरकार द्वारा 01.04.2015 से 31.03.2019 तक ₹895 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया।
(ii) **'भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण स्कीम चरण- II (फेम-II)'**: सरकार द्वारा ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय सहायता के साथ इस स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया गया।
(iii) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट** (**पीएम ई-ड्राइव**) **स्कीम:** ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम को दिनांक 29.09.2024 को अधिसूचित किया

गया। पीएम ई-ड्राइव स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2024 से प्रभावी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम-2024 (ईएमपीएस-2024) का पीएम ई-ड्राइव स्कीम में समावेशन कर दिया गया है।

(ख): फेम-II तथा पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार दोनों स्कीमों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त ईवी का विवरण निम्नानुसार है: -

स्कीम	फ़ेम-I (सहायता प्रदान किए गए)	फ़ेम-II स्कीम (प्रोत्साहन प्रदान किए गए)	पीएम ई-ड्राइव स्कीम (प्रोत्साहन प्रदान किए गए)
प्रोत्साहन प्रदान किए गए ईवी की संख्या	4,823	37,259	55,489

फेम-II के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 165 ईवी वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 152 ईवी पीसीएस का विद्युतीकरण कर उन्हें परिचालनरत कर दिया गया है। इनके शहर/जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) एवं (घ): फेम-II और पीएम ई-ड्राइव स्कीम मुख्यतः मांग- आधारित स्कीमें हैं। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ सहित, भारी इंजीनियरिंग के आधुनिकीकरण अथवा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए कोई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

****

अनुलग्नक

फेम-II के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थापित एवं परिचालनरत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) का जिला-वार/शहर-वार विवरण

#	जिले का नाम	संस्थापित	परिचालनरत
1	बालोद	4	4
2	बलौदाबाजार	6	6
3	बलरामपुर	1	1
4	बस्तर	9	9
5	बेमेतरा	4	4
6	बीजापुर	2	2
7	बिलासपुर	13	9
8	दंतेवाड़ा	2	2
9	धमतरी	3	3
10	दुर्ग	11	11
11	गरियाबंद	3	3
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	1	1
13	जांजगीर चांपा	7	7
14	जशपुर	3	3
15	कांकेर	3	3
16	कवर्धा	3	3
17	खैरगढ़ छुईखदान गंडई	2	2
18	कोंडागांव	4	4
19	कोरबा	8	6
20	कोरिया	3	3
21	महासमुंद	6	4
22	मनेन्द्रगढ़ चिरिमिरी भरतपुर	1	1
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	0	0
24	मुंगेली	4	4
25	नारायणपुर	1	1
26	रायगढ़	13	10
27	रायपुर	17	17
28	राजनंदगांव	13	11
29	सक्ती	1	1
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	2	2

31	सुकमा	2	2
32	सूरजपुर	3	3
33	सरगुजा	10	10
	कुल	**165**	**152**

******